न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–अरूण कुमार जैन (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 480/2025 | दायर दिनांक 18.09.2025 | निर्णय दिनांक 07/5/.2026

उनवान

1. फतहलाल पुत्र रामचन्द्र जाति कलाल निवासी रीछडा तहसील व जिला भीलवाडा।
2. रतनलाल पुत्र रामचन्द्र जाति कलाल निवासी रीछडा तहसील व जिला भीलवाडा।

— **प्रार्थीगण**

बनाम

1. चान्दी पत्नि मोती जाति गुर्जर निवासी रीछडा तहसील व जिला भीलवाडा।
2. उदयलाल पुत्र कालु जाति गुर्जर निवासी रीछडा तहसील व जिला भीलवाडा।
3. भैरू पुत्र मोती जाति गुर्जर निवासी रीछडा तहसील व जिला भीलवाडा।
4. मांगी पत्नि कालु जाति गुर्जर निवासी रीछडा तहसील व जिला भीलवाडा।
5. सुखा पुत्र मोती जाति गुर्जर निवासी रीछडा तहसील व जिला भीलवाडा।
6. अमरचन्द पुत्र कजोड जाति गुर्जर निवासी रीछडा तहसील व जिला भीलवाडा।
7. कैलाशचन्द्र पुत्र स्व0 मोतीलाल जाति ब्राह्मण निवासी रीछडा तहसील व जिला भीलवाडा।
8. गोपाल पुत्र राधेश्याम ब्राह्मण तिवाडी निवासी रीछडा तहसील व जिला भीलवाडा।
9. दुर्गाशंकर पुत्र मोतीलाल जाति ब्राह्मण निवासी रीछडा तहसील व जिला भीलवाडा।
10. मोहनलाल पुत्र मोतीलाल ब्राह्मण निवासी रीछडा तहसील व जिला भीलवाडा।
11. राधेश्याम पुत्र मोतीलाल जाति ब्राह्मण निवासी रीछडा तहसील व जिला भीलवाडा।
12. मोहनलाल पुत्र रामचन्द जाति कलाल निवासी रीछडा तहसील व जिला भीलवाडा।
13. चांदमल पुत्र रामचन्द जाति कलाल निवासी रीछडा तहसील व जिला भीलवाडा।
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाडा (राज)।

— **विपक्षीगण**

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 आर0एल0आर एक्ट :–

उपस्थितः–

1. **अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री केदार वैष्णव उपस्थित।**
2. **अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 13 उपस्थित नहीं**

–:: निर्णय ::– 07/5/26

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता केदार वैष्णव द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पेश किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विधिक कार्यवाही प्रारंभ की गई।

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम रीछडा पटवार हल्का रीछडा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र महुआकलां तहसील व जिला भीलवाड़ा में नया खाता संख्या 313 की आराजी संख्या 1059/5 रकबा 0.0379 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.0379 हैक्टेयर भूमि स्थित है। प्रार्थी संख्या 02 के नाम से नया खाता संख्या 365 आराजी संख्या 1059/2 रकबा 0.4046 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1059/4 रकबा 0.3794 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1059/6 रकबा 0.1138 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 0.8978 हैक्टेयर भूमि स्थित है एवं प्रार्थी संख्या 01 के नाम से नया खाता संख्या 312 आराजी संख्या 1055 रकबा 0.4932 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1059/3 रकबा 0.3161 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1059/7 रकबा 0.1012 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 0.9105 हैक्टेयर भूमि स्थित है।

उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा 7/5/26

उक्त कृषि भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और विपक्षीगण के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती कराई जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहते है। प्रार्थीगण उक्त वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 13 बाद सूचना उपस्थित नहीं। अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 13 के बाद सूचना उपस्थित नहीं आने से अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 13 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। बहस का मनन एवं चिंतन किया गया, संबंधित विधि का अनुशीलन किया गया।

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व प्रार्थीगण अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण उक्त आराजियात के खातेदार काश्तकार होकर इन्हें अपनी आराजियात की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

अतः तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन (पत्थरगढी) करने का आदेश दिया जाता है कि ग्राम रीछाडा पटवार हल्का रीछडा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र महुआकलां तहसील व जिला भीलवाड़ा में नया खाता संख्या 313 की आराजी संख्या 1059/5 रकबा 0.0379 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.0379 हैक्टेयर भूमि स्थित है। प्रार्थी संख्या 02 के नाम से नया खाता संख्या 365 आराजी संख्या 1059/2 रकबा 0.4046 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1059/4 रकबा 0.3794 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1059/6 रकबा 0.1138 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 0.8978 हैक्टेयर भूमि स्थित है एवं प्रार्थी संख्या 01 के नाम से नया खाता संख्या 312 आराजी संख्या 1055 रकबा 0.4932 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1059/3 रकबा 0.3161 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1059/7 रकबा 0.1012 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 0.9105 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व अप्रार्थीगण को सम्यक रूप से सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी की कार्यवाही उभय पक्षकारों की उपस्थिति में सीमाचिन्ह निशानात कायम किये जाने की हद तक है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो भू–प्रबन्ध बन्दोबस्त के नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 2000–00 अक्षरे दो हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। निर्णय की पालनार्थ तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 07/05/2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो और नंबर से कम हो।

(अरूण कुमार जैन)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा